भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-811

दिनांक 04 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

आंध्र प्रदेश में विद्युत पारेषण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण

†811. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में अंतर-राज्य प्रसारण और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने हेतु किसी केंद्रीय परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रयोजन के लिए चल रही और स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) क्या संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी) स्कीम, विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) जैसी विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में अंतः राज्यीय पारेषण और वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिए केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है।

पारेषण क्षेत्र में, आगामी नवीकरणीय क्षमता के एकीकरण में मदद करने और पारेषण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने दिनांक 16.07.2015 को आंध्र प्रदेश में जीईसी चरण-I स्कीम के अंतर्गत 3.15 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए

परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में पारेषण लाइनों के 888 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) और सबस्टेशनों पर परिवर्तन क्षमता के 1968 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एमवीए) शामिल हैं। इसमें से, 884 सीकेएम लाइन और 1968 एमवीए पारेषण क्षमता पूरी हो चुकी है। आंध्र प्रदेश को 361.25 करोड़ रुपये के आवंटित केंद्रीय अनुदान में से, अब तक 302.48 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

पीएसडीएफ के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में, विद्युत प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों जैसे संकुलन राहत, प्रतिक्रियाशील विद्युत उपकरण प्रतिष्ठान, सुरक्षा प्रणाली आदि के लिए 427.09 करोड़ रुपये की लागत से 07 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसके निमित 302.69 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

वितरण क्षेत्र में, भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं तक विद्युत आपूर्ति की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस, सौभाग्य जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का समर्थन कर रही थी। इन स्कीमों के अंतर्गत, देश में विद्युत वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को निष्पादित किया गया था। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) 6.65 लाख परिवारों का विद्युतीकरण किया गया है। सौभाग्य के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश में 1.82 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया था। डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के अंतर्गत, जैसा कि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा हो गया था। दोनों स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए डीडीयूजीजेवाई स्कीम के अंतर्गत आवंटित कुल निधि 1523.44 करोड़ रुपये है।

भारत सरकार ने जुलाई 2021 में, देश में वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की शुरुआत की थी। इस स्कीम का उद्देश्य 12-15% के अखिल भारतीय स्तर पर कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को कम करना और आपूर्तित विद्युत की प्रत्येक यूनिट पर कम-वसूली को शून्य करना है। वितरण अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के उन्नयन के लिए वितरण लाइसेंसधारियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत, हानि न्यूनीकरण के लिए 10,708 करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग के लिए 4,128 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को आंध्र प्रदेश राज्य के लिए मंजूरी दी गई है।

****